न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 163/2025

अनवान :

1. सुभाष चन्द्र पुत्र दारासिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. दारासिंह पुत्र निगाराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. जयप्रकाश पुत्र दारासिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री दीवान सिंह **: वादी**

वकील श्री नरेश कुमार **: प्रतिवादी सं0 1 ता 2**

निर्णय

दिनांक : 20.08.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 156/156 के खसरा संख्या 362 की 1.2270 है0, खसरा संख्या 541 की 5.1720 है0, खसरा संख्या 783/285 की 4.8060 है0 कुल खसरे 03 की कुल क्षेत्रफल 11.2050 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दारासिंह के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादी के दादा निगाराम पुत्र हजारी की खातेदारी हुआ करती थी जो निगाराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जाने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सुभाष चन्द्र पुत्र दारासिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा घेऊ खाता संख्या 156/156 संवत 2075–2078 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा घेऊ खाता संख्या 156/148 संवत 2071–2074 प्रदर्श 2, शपथ पत्र सुभाष चन्द्र पुत्र दारासिंह प्रदर्श 3, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत घेऊ प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। [illegible] वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि [illegible] कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:40:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम घेऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 156/156 के खसरा संख्या 362 की 1.2270 है0, खसरा संख्या 541 की 5.1720 है0, खसरा संख्या 783/285 की 4.8060 है0 कुल खसरे 03 की कुल क्षेत्रफल 11.2050 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दारासिंह के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 दारासिंह अकेले की बजाय वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 156/156 के खसरा संख्या 362 की 1.2270 है0, खसरा संख्या 541 की 5.1720 है0, खसरा संख्या 783/285 की 4.8060 है0 कुल खसरे 03 की कुल क्षेत्रफल 11.2050 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दारासिंह के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दारासिंह अकेले की बजाय वादी सुभाषचन्द्र तथा प्रतिवादी सख्या 1 दारासिंह व प्रतिवादी संख्या 2 जयप्रकाश को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:40:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 163/2025

अनवान :

1. सुभाष चन्द्र पुत्र दारासिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा। :– वादी

बनाम

1. दारासिंह पुत्र निगाराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. जयप्रकाश पुत्र दारासिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। :– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दीवान सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेश कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 156/156 के खसरा संख्या 362 की 1.2270 है0, खसरा संख्या 541 की 5.1720 है0, खसरा संख्या 783/285 की 4.8060 है0 कुल खसरे 03 की कुल क्षेत्रफल 11.2050 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दारासिंह के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दारासिंह अकेले की बजाय वादी सुभाषचन्द्र तथा प्रतिवादी सख्या 1 दारासिंह व प्रतिवादी संख्या 2 जयप्रकाश को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.08.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:40:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner